



कार्यालय नगर विकास न्याय, भरतपुर फोन नं. 05644-230685 वेबसाइट urban.rajasthan.gov.in/ibharatpur.com							
ई-ऑक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का मतदाता श्रवण नगर विकास न्याय भारतपुर द्वारा विभिन्न प्लॉट नंबरों में सार्वजनिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड ई-ऑक्शन द्वारा नीलामी करने का है। जिसका विवरण निम्नानुसार है -				दिनांक : 31.01.23			
क्र. सं.	प्लॉट नाम	भूखण्ड संख्या	सर्वतल मूल में	क्षेत्रफल	आरक्षित दर प्रति वर्गमीटर/वर्गफीट (रू.लक्ष में)	ई.एम.डी. राशि	ई-ऑक्शन में भाग करने की दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ए.एम.डी. योजना-1 (अ.वा.सं.ध)	G-03 (Corner)	25X17 फी.	725.00 वर्गमी.	9,000/- वर्गमी.	215,000	25,000/- वर्गमी.
		G-04 (Corner)	25X17 फी.	725.00 वर्गमी.	9,000/- वर्गमी.	215,000	25,000/- वर्गमी.
		G-1 (Corner)	19X25 फी.	475.00 वर्गमी.	9,000/- वर्गमी.	2,50,000	25,000/- वर्गमी.
		G-28 (Corner)	19X25 फी.	475.00 वर्गमी.	9,000/- वर्गमी.	2,50,000	25,000/- वर्गमी.
2.	ए.एम.डी. नगर (आवासीय)	5	37'X85'	355.67 वर्गमी.	8,000/- वर्गमी.	3,50,000	45,000/- वर्गमी.
		43,44,807,815	34'X69'	260.67 वर्गमी.	8,000/- वर्गमी.	2,00,000	30,000/- वर्गमी.
		218	37'X85'	355.67 वर्गमी.	8,000/- वर्गमी.	3,50,000	45,000/- वर्गमी.
3.	ट्रांसपोर्ट नगर (व्यावसायिक)	16,17,22,23,25	25'X80'	222.22 वर्गमी.	150,000/- वर्गमी.	2,00,000	40,000/- वर्गमी.
		123,124,123,129,132	20'X60'	133.33 वर्गमी.	150,000/- वर्गमी.	1,00,000	35,000/- वर्गमी.
4.	सर्कल नं. 14 (व्यावसायिक)	Type-A 35, 136, 137	10X20 फी.	200.00 वर्गमी.	10000/- वर्गमी.	75,000	13,500/- वर्गमी.
		Type-B 26, 27, 32, 33	6X20 फी.	120.00 वर्गमी.	10000/- वर्गमी.	70,000	38,000/- वर्गमी.
		Type-C 48, 49, 50, 51,	6X15 फी.	90.00 वर्गमी.	10000/- वर्गमी.	55,000	30,000/- वर्गमी.
		Type-D 275, 271, 272, 273, 274, 275	3X3 फी.	9.00 वर्गमी.	10000/- वर्गमी.	15,000	75,000/- वर्गमी.
		Type-F 16, 17	30X30 फी.	900.00 वर्गमी.	10000/- वर्गमी.	5,60,000	20,000/- वर्गमी.

1. क्रम 1 से 4 के भूखण्डों हेतु रजिस्ट्रेशन अगस्त राशि, कचान पत्र अलॉट करने की कार्यालय दिनांक 10.02.2025 को रात 10 बजे से 20.02.2023 सुबह 6 बजे तक एवं ऑनलाइन नीलामी दिनांक 21.02.2023 रात 11 बजे से 24.02.2023 रात 11 बजे तक की जाएगी।

2. आवेदन को स्वीकृत किया जाता है कि आवेदनकर्ता नीलामी के भूखण्डों पर किसी भी प्रकार का स्वयं दावेत जारी किया गया है तो नीलामी में पूर्व प्राथमिकता के तहत आवेदन प्रस्तुत करें।

5. ई-ऑक्शन हेतु वेबसाइट urban.rajasthan.gov.in/ibharatpur पर F services, property auction, click or link here for Fa and or details पर क्लिक कर सकते हैं।

अन्य शर्तें व नियम

- अगस्त राशि ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को ब्लॉक 7 में अंकित राशि (निगमानुसार) राशि अगस्त के रूप में जमा करा नीलामी में भाग ले सकेगा। सफल बोली दात को अगस्त राशि विक्रय मूल्य में समायोजन की जाएगी एवं अगस्त बोलीदाता को अगस्त राशि पूर्णप्राप्तन कर दी जाएगी।
- एच्छता बंधावत को बोली को 15 प्रतिशत राशि नीलामी दिनांक से 3 दिवस में जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा नहीं करने को रिश्ते बंधावत को जमा अगस्त राशि न्याय नक्ष में जप्त को वापस लेनी स्वतः को निरस्त गणना जावेगी।
- ऑनलाइन नीलामी की दर स्थायी प्रदान सफल बोलीदाता को बोली को 35 प्रतिशत राशि को नीलामी दिनांक से 240 दिवस में जमा करनी होगी।
- सफल बोलीदाता को बोली को श्रेष्ठ 50 प्रतिशत राशि ऑनलाइन नीलामी दिनांक से 360 दिवस में जमा करनी होगी।
- प्रत्येक भूखण्ड को नीलामी पर 1 प्रतिशत नीलामे लनखन फण्ड से देव होगा।
- यदि सफल बोलीदाता आपका जारो दिनांक से 15 दिवस में अगस्त राशि का पूर्णप्राप्तन करत है तो बोली राशि में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान ली जायेगी।
- यदि बोलीदाता सफल नहीं करत है तो राशि जमा कराने में सफल करत है तो जमा 15 प्रतिशत राशि स्वतः को न्याय नक्ष में जप्त करे जायेगी स्वतः को निरस्त गानी जायेगी।
- बोलीदाता को पेन कार्ड को प्रति जमा कराने होगा।
- ऑनलाइन बोली 100/- रूपये प्रति वर्गमीटर/वर्गफीट के गुणांक में ही स्वीकृत ली जायेगी।
- न्याय कर/न्याय राशि प्लॉट को अगस्त दर को 2.5 प्रतिशत आवासीय एवं 3 प्रतिशत व्यावसायिक प्रतिवर्ष देत होगी।
- 500 वर्गमीटर से अधिक के आवासीय भूखण्ड पर 107/- प्रति वर्गमीटर एवं व्यावसायिक भूखण्डों पर 25 प्रति वर्गमीटर को दर से प्लॉट को बी.एम.डी. फण्ड देत होगी।
- भूखण्ड नैतिक पर जैने स्थिति में है उसी स्थिति में नालस किया जावेगा व क्षेत्रफल में परिवर्तन जो संभव है।
- एच्छता बंधो को संवर्धन/अन्य कर (बिना किसी कारण) करने का अधिकार अधिकार न्याय अगस्त में निश्चित है।
- जहाँ नगर विकास न्याय के अनुसार गत होगी।
- अगस्त राशि न्याय पर ऑनलाइन नैतिक में गणना से देत है।
- 50 तक अथवा इससे अधिक मूल के आवासीय भूखण्ड पर आवक कर प्रकल्प 194-1A के अनुसार क्रेता को विक्रय मूल्य को निगमानुसार नैतिक राशि जमा कराने होगी।

(कमल राय मीना)
सचिव
नगर विकास न्याय, भरतपुर

(आलोक रंजन)
जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष
नगर विकास न्याय, भरतपुर

